न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 240/13/दावा
महेन्द्र कुमार उर्फ मोहन लाल पुत्र स्व. श्री छोटेलाल उम्र 77 वर्ष जाति पुरोहित निवासी भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी/प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी/अनावेदक

उपस्थिति– 1. श्री भंवरसिंह शेखावत वादी/प्रार्थी की ओर से

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक– 13.04.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/वादी की ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में कृषि भूमि ख.नं. 619 ता 621, 1043, 1044, 1154 ता 1158, 618 किता 11 कुल रकबा 10.86 है. अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सेदारी की खातेदारी है तथा ग्राम गौरिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खसरा नं. 125, 135 ता 142, 220, 124 किता 11 कुल रकबा 23.48 है0 भूमि अवस्थित है जिसका वादी/प्रार्थी 1/4 हक हिस्सेदारी का काबिज काश्तकार खातेदार है तथा उपरोक्त भूमि को वादी अपने हक हिस्सेनुसार काश्त कर अपने परविार का जीवन यापन कर रहा है। उपरोक्त आराजियात कृषि भूमियों में राजस्व रिकाड में वादी का का नाम सहवन से मोहनलाल अंकित कर दिया गया था जबकि वादी का वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार पारीक है चूंकि वादी का बोलता नाम मोहनलाल था उस वजह से वादी का बोलता नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में मोहन लाल अंकन कर दिया गया था जो कतई राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हुआ है। वादी का वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार पारीक है जो कि वादी के समस्त दसतावेजात से साबित है तथा वादी के सभी लोक दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, स्थाई लेखा संख्या तथा ग्राम पंचायत भारीजा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि में वादी का वासतविक नाम महेन्द्र कुमार पारीक है इसलिए वादी अपना वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार पारीक की उद्घोषणा का प्रार्थी है। वादी अक्सर बाहर रहते है इसलिएवादी को अपने गलत नाम की जमाबंदी की नकल लेने से दो रोज पूर्व जानकारी हुई है तब से वाद कारण पैदा हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण चालू है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिकी फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद 1 में अंकित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के आगे महेन्द्र कुमार उर्फ मोहनलाल की उद्घोषणा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा इसी आशय का राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

दुरूस्ती फरमाई जावें। वाद के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण पत्र द्वारा ग्राम पंचायत, भारीजा, फोटो प्रति पहचान पत्र, स्थाई लेखा, परिवार राशन कार्ड, नकल प्रमाणित प्रति जमाबंदी ग्राम गौरिया व ग्राम भारीजा की पेश किये गये।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार, दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी के साक्ष्य/शपथ पत्र पेश किये एवं मूल दस्तावेजात एक्जी. करवाये गये तथा साक्ष्य के समर्थन में मोहनसिंह के साक्ष्य/शपथ पत्र पेश किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ ने पत्रांक भूअ/15/3241 दिनांक 20.03.2015 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई।

3. वादी/प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादी का बोलता नाम मोहन लाल था जिसके कारण राजस्व अभिलेख में प्रार्थी/वादी का नाम मोहनलाल हो गया जबकि प्रार्थी/वादी का वास्तविक नाम महेन्द्र कुंमार पारीक है उक्त नाम की पुष्टि में लोक दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, स्थाई लेखा संख्या तथा ग्राम पंचायत भारीजा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि की फोटो /मूल प्रतियां पेश की गई है।

4. हमने प्रार्थी/वादी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि छोटेलाल के महेन्द्र कुमार नाम से मोहनलाल को ही जाना जाता था मोहनलाल नाम की कोई संतान नहीं थी। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में नाम महेन्द्र कुमार पत्र छोटेलाल पारीक दर्ज है। प्रार्थी के राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में महेन्द्रकुमार पुत्र छोटोलाल पारीक ही दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर महेन्द्रकुमार पुत्र छोटेलाल व मोहनलाल पुत्र छोटेलाल एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन आईडी, ग्राम पंचायत, भारीजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.2013 आदि सभी में महेन्द्र कुमार पारीक पुत्रश्री छोटेलाल दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथाग्राम भारीजा की विवादित आराजियात भूमि ख.नं. 619 ता 621, 1043, 1044, 1154 ता 1158, 618 किता 11 कुल रकबा 10.86 है. जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है तथा ग्राम गौरिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खसरा नं. 125, 135 ता 142, 220, 124 किता 11 कुल रकबा 23.48 है0 में प्रार्थी/वादी का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है, राजस्व अभिलेख में वादी के नाम की मोहनलाल उर्फ महेन्द्र कुमार पारीक उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह निर्णय आज दिनाक 13.04.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आरएएस

महेन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 240/दावा/2013 निर्णय दिनांक 13.04.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री भंवरसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्‌दई –– वकील मिनजानिब मुद्‌दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथाग्राम भारीजा की विवादित आराजियात भूमि ख.नं. 619 ता 621, 1043, 1044, 1154 ता 1158, 618 किता 11 कुल रकबा 10.86 है. जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है तथा ग्राम गौरिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में भूमि खसरा नं. 125, 135 ता 142, 220, 124 किता 11 कुल रकबा 23.48 है0 में प्रार्थी/वादी का 1/4 हक हिस्सा दर्ज है, राजस्व अभिलेख में वादी के नाम की मोहनलाल उर्फ महेन्द्र कुमार पारीक उद्‌घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी है। तद्‌नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग......... बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 अप्रेल सन् 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	8	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 240/13/दावा

महेन्द्र कुमार उर्फ मोहन लाल पुत्र स्व. श्री छोटेलाल उम्र 77 वर्ष जाति पुरोहित निवासी भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी/प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी/अनावेदक

उपस्थिति— 1. श्री भंवरसिंह शेखावत वादी/प्रार्थी की ओर से

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक— 13.04.2015

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner